**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1686**

**उत्तर देने की तारीखः 27.12.2018**

**अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल/विद्यालय**

**1686. डा॰ अमी यज्ञिकः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अध्यापकों की शिक्षा के गिरते हुए स्तर का निरीक्षण करने के लिए

किसी आयोग की स्थापना की है; और

(ख) सरकार द्वारा देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए अध्यापकों के नए

प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के ब्यौरे क्या हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): इस स्‍तर पर ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय देश में अध्‍यापक शिक्षा से संबंधित मामलों से अवगत है। इन मामलों को हल करने के लिए राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने शपथ पत्र/कारण बताओ नोटिस/अनिवार्य शपथ प्रणाली के माध्‍यम से देश में अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाओं (टीईआई) से उनके विनियमों की सीमा में यथा उल्‍लिखित अपेक्षित सूचना मांगी थी। उन अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिन्‍होंने ये अनिवार्य शपथ पत्र नहीं दायर किए हैं।

इसके अतिरिक्‍त, भारत में अध्‍यापक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्‍तापरक सुधार लाने के लिए चार वर्षीय बी.एड समेकित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और इस पाठ्यक्रम के लिए 22 नवम्‍बर, 2018 के राजपत्र में विनियम प्रकाशित किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए तैयार की गई मॉडल पाठ्यचर्या में जेंडर, समावेशी शिक्षा, आईसीटी, योग, वैश्‍विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) और स्‍वास्‍थ्‍य तथा स्‍वच्‍छता जैसे महत्‍वपूर्ण पहलू शामिल है। शिक्षण विशेषज्ञता मुख्‍यत: प्राथमिक स्‍तरों और माध्‍यमिक स्‍तर के लिए होगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) तथा राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने देश के स्‍कूल शिक्षकों को नवाचारी प्रौद्योगिकी आधारित हल तक पहुंच से सशक्‍त बनाने के उद्देश्‍य से शिक्षकों के लिए समर्पित एक डिजिटल अवसरंचना दीक्षा तैयार की है। दीक्षा एक अनन्‍य पहल है जो प्रभावी शिक्षण एवं प्रशासन के लिए शिक्षकों की आवश्‍यकता के अनुसार मौजूदा, अत्‍यधिक वृद्धि योग्‍य और लोचशील डिजिटल अवसंरचना प्रदान करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 (2) में अप्रशिक्षित सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। सभी अप्रशिक्षित सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित न्‍यूनतम अर्हताएं प्राप्‍त करना आवश्‍यक है। राष्‍ट्रीय मुक्‍त विद्यालयी संस्‍थान (एनआईओएस) को अप्रशिक्षित सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संचालन का कार्य सौंपा गया है। आज की स्‍थिति के अनुसार (12.03.2018) 13,78,979 अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों ने एनआईओएस पोर्टल पर प्रवेश की पुष्‍टि की है। एनआईओएस मुक्‍त दूरस्‍थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति तथा स्‍वयम प्‍लेटफार्म के माध्‍यम से डी.एल.एड कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, इस उद्देश्‍य के लिए स्‍वयंप्रभा डीटीएच चैनल का भी प्रयोग किया जाता है।

केंद्र सरकार ने भूतपूर्व केंद्र प्रायोजित योजना-अध्‍यापक शिक्षा (सीएसएसटीई) तथा नई एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूरे देश में अनेक अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाएं स्‍वीकृत की हैं। जिनका ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| टीईआई | सीएसएसटीई के अंतर्गत अनुमोदित टीईआई | | समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुमोदित | टीईआई की कुल संख्‍या |
|  | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |  |
| जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान (डीआईईटी) | 6 | 9 | 22 | 37 |
| अध्‍यापक शिक्षा ब्‍लॉक संस्‍थान (बीआईटीई) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| कुल | 9 | 9 | 22 | 40 |

\*\*\*\*\*